न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर
रसद प्रार्थना पत्र संख्या 43/2012

राजस्थान सरकार जरिये हेमन्त आर्य प्रर्वतन निरीक्षक, अजमेर। ....*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री चेतनलाल पुत्र श्री कैलाशचन्द रेगर निवासी रेगरान मौहल्ला, केकडी जिला–अजमेर पेशा–गैस बॉय, अजमेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार, लि0 आई.ओ.सी.एल. गैस एजेन्सी (अपना बाजार) अजमेर।
2. मैनेजर, अजमेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि0आईओ.सी.एल. गैस एजेन्सी (अपना बाजार) अजमेर। ....*अप्रार्थीगण*

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित ;. 1. श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी प्रर्वतन अधिकारी — पैरोकार सरकार
2. श्री एस.एन. देवडा — अभिभाषक अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 02.02.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 21.11.2012 को फ्रेजर रोड पर घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रिफलिंग किये जाने की सूचना पर जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार प्रवर्तन निरीक्षक दल द्वारा मौके पर की गई जांच दौरान अप्रार्थी सं0 01 घरेलु गैस सिलेण्डर एस.आर. नं0 143546EF से खाली सिलेण्डर एस. आर. नं0 5430485 से अवैध रूप से बॉसुरी द्वारा गैस स्थान्तरित करता हुआ पाया गया। पूछताछ में अप्रार्थी सं0 01 द्वारा बांसूरी के माध्यम से भरे हुए गैस सिलेण्डर से खाली गैस सिलेण्डर में गैस स्थान्तरित किया जाना स्वीकार किया तथा अपना बाजार अजमेर सहकारी उपभेक्ता होलसेल भण्डार लिमिटेड, अजमेर आई.ओ.सी. कम्पनी के गैस बॉय के रूप में कार्यरत होना बताया। मौका स्थल से उक्त दो गैस सिलेण्डर के अतिरिक्त मौके पर उपलब्ध सभी 37 सिलेण्डरों को पृथक तलपट बनाकर तोला गया एवं फर्द अभिग्रहण बनाकर गैस सिलेण्डर व बासूंरी को कब्जेराज लिया जाकर मैसर्स हरेन्द्र मेमोरियल गैस कम्पनी, अजमेर आई.ओ.सी. के कर्मचारी श्री बशीर खान पुत्र श्री मोहम्मद कासिम को सुपुर्दगी में दिए गये। विवरण सिलेण्डरः–

क0सं0	नाम कम्पनी	सिलेण्डर सं0	G.T.(Kg)	T.W. (Kg)	N.W. (Kg)
1.	आई.ओ.सी.	579148 घरेलू	16.0	16.0	—
2.	आई.ओ.सी..	157501 घरेलू	16.4	16.4	—
3.	आई.ओ.सी.	632140 घरेलू	15.8	15.8	—
4.	आई.ओ.सी.	4820820 घरेलू	15.8	26.00	10.2
5.	आई.ओ.सी.	56833 घरेलू	15.5	29.00	13.5
6.	आई.ओ.सी.	51480 घरेलू	16.00	16.00	0.00
7.	आई.ओ.सी.	878363 घरेलू	15.7	15.7	0.00
8.	आई.ओ.सी.	375852 घरेलू	15.7	15.7	0.00

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

9.	आई.ओ.सी.	298897 घरेलू	15.6	15.6	0.00
10.	आई.ओ.सी.	208036 घरेलू	15.5	15.5	0.00
11	आई.ओ.सी.	264542 घरेलू	15.6	15.6	0.00
12	आई.ओ.सी.	612220 घरेलू	15.6	15.6	0.00
13	आई.ओ.सी.	852877 घरेलू	15.6	15.6	0.00
14	आई.ओ.सी.	32695 घरेलू	16.7	16.7	0.00
15	आई.ओ.सी.	413489 घरेलू	15.6	15.6	0.00
16	आई.ओ.सी.	397273 घरेलू	16.4	30.0	13.6
17	आई.ओ.सी.	901647 घरेलू	16.1	16.1	0.00
18	आई.ओ.सी.	310916 घरेलू	15.5	15.5	0.00
19	आई.ओ.सी.	682665 घरेलू	15.7	15.7	0.00
20	आई.ओ.सी.	820521 घरेलू	16.4	16.4	0.00
21	आई.ओ.सी.	847838 घरेलू	16.9	16.9	0.00
22	आई.ओ.सी.	754686 घरेलू	16.0	16.0	0.00
23	आई.ओ.सी.	763432 घरेलू	15.9	30.0	14.1
24	आई.ओ.सी.	126260 घरेलू	15.3	15.3	0.00
25	आई.ओ.सी.	71842 घरेलू	16.0	16.0	0.00
26	आई.ओ.सी.	43008 घरेलू	15.5	15.5	0.00
27	आई.ओ.सी.	2348308 घरेलू	16.7	16.7	0.00
28	आई.ओ.सी.	608238 घरेलू	15.4	15.4	0.00
29	आई.ओ.सी.	571245 घरेलू	15.6	30.0	14.4
30	आई.ओ.सी.	334330 घरेलू	17.0	17.0	0.00
31	आई.ओ.सी.	409996 घरेलू	15.5	15.5	0.00
32	आई.ओ.सी.	809980 घरेलू	15.8	28.0	12.2
33	आई.ओ.सी.	38805 घरेलू	15.7	15.7	0.00
34	आई.ओ.सी.	649101 घरेलू	16.0	16.0	0.00
35	आई.ओ.सी.	174509 घरेलू	15.8	15.8	0.00
36	आई.ओ.सी.	143546 EFघरेलू	15.8	28.0	12.2
37	आई.ओ.सी.	543048 घरेलू	16.1	27.0	10.9
Total					101.1

अप्रार्थी द्वारा उक्त सभी घरेलू गैस सिलेण्डर अपना बाजार के 9 नम्बर पेट्रोल पम्प स्थित गोदाम भजनगंज, अजमेर से लेकर राजा साईकिल चौराहा स्थित रेल्वे कॉलोनी में कैम्प लगाकर उपभोक्ताओं को वितरण किया जाना अवगत करवाया गया। मौके पर अप्रार्थी चेतनलाल द्वारा अपना बाजार, अजमेर से जारी 20 बिल वाउचर मूल प्रस्तुत किये। चूंकि मौके पर एक सिलेण्डर से दूसरे सिलेण्डर में अवैध रूप से रीफिलिंग का कार्य करना पाया गया है जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः उपरोक्त कब्जेराज लिये गये 37 घरेलू गैस सिलेण्डर, को मय बांसुरी आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

10/08/18

जिला कलेक्टर
अजमेर

प्रार्थना पत्र दर्ज कर नोटिस जारी किऐ गये। अप्रार्थी0 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। जवाब प्रार्थना हेतु पर्याप्त समय दिये जाने उपरान्त भी उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने पर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई । उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रकट किया कि दिनांक 21.11.2012 को फेजर रोड पर घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रिफलिंग किये जाने की सूचना पर जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार प्रवर्तन निरीक्षक दल द्वारा मौके पर की गई जांच दौरान अप्रार्थी सं0 01 घरेलु गैस सिलेण्डर एस.आर. नं0 143546EF से खाली सिलेण्डर एस.आर. नं0 5430485 से अवैध रूप से बॉसुरी द्वारा गैस स्थान्तरित करता हुआ पाया गया है। पूछताछ में अप्रार्थी सं0 01 द्वारा बांसूरी के माध्यम से भरे हुए गैस सिलेण्डर से खाली गैस सिलेण्डर में गैस स्थान्तरित किया जाना स्वीकार किया है तथा अपना बाजार अजमेर सहकारी उपभेक्ता होलसेल भण्डार लिमिटेड, अजमेर आई.ओ.सी. कम्पनी के गैस बॉय के रूप में कार्यरत होना बताया है। मौका स्थल से उक्त दो गैस सिलेण्डर के अतिरिक्त मौके पर उपलब्ध सभी 37 सिलेण्डरों को पृथक तलपट बनाकर तोला गया एवं फर्द अभिग्रहण बनाकर गैस सिलेण्डर व बासूंरी को कब्जेराज लिया जाकर मैसर्स हरेन्द्र मेमोरियल गैस कम्पनी, अजमेर आई.ओ.सी. के कर्मचारी श्री बशीर खान पुत्र श्री मोहम्मद कासिम को सुपुर्दगी में दिए गये है। चूंकि मौके पर एक सिलेण्डर से दूसरे सिलेण्डर में अवैध रूप से रीफिलिंग का कार्य करना पाया गया है जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः उपरोक्त कब्जेराज लिये गये 37 घरेलू गैस सिलेण्डर, को मय बांसुरी आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के आदेश प्रदान करावें।

जवाब में उपस्थित अभिभाषक आप्रार्थी ने निवेदन किया कि दिनांक 21.11..12 को हुई घटना बाबत अप्रार्थी संख्या 02 को सूचित नहीं किया गया। प्रार्थना पत्र कथनों से अप्रार्थी सं0 02 का कोई संबध नहीं है। अप्रार्थी सं0 01 के विरूद्ध कार्यवाही सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। जब्त शुदा सिलेण्डर अप्रार्थी संख्या 02 अजमेर सहकारी उपभोक्ता भण्डार के कब्जाधीन सम्पति है। अप्रार्थी संख्या 02 आई.ओ.सी. का अधिकृत वितरक है। एक सिलेण्डर के बाबत अपराधिक कृत्य किया जाना प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में व्यक्त किया गया जबकि बिना किसी कारण के पूरे 37 सिलेण्डरो कब्जे राज लिया जाकर राजसात किये जाने अनुरोध किया गया है जो गैर कानूनी है। भण्डार द्वारा उपभोक्ताओं को सिलेण्डर बिल बाउचर के साथ पूरा वजन तोलकर दिया जाता है किसी सिलेण्डर में गैस यदि कम पाई जाती है तो उसे ग्राहक को नहीं दिया जाता है। पुनः आई.ओ.सी को भेजा जाता है। अप्रार्थी संख्या 02 एक सहकारी संस्था है जिसके द्वारा सन् 1969 से गैस वितरण का कार्य किया जा रहा है जो बिना किसी शिकायत के हमेशा जनहित में गैस सप्लाई का कार्य करती आ रही है। आई ओ. सी बॉटलिंग प्लान्ट से प्रतिदिन करीबन 612 सिलेण्डर सप्लाई हेतु दो ट्रको के माध्यम से आते है। पलान्ट से प्रति ट्रक केवल 10 प्रतिशत सिलेण्डर ही तौल कर दिये जाते है। भण्डार द्वारा नियमानुसार वितरण हेतु सिलेण्डर तोलकर मय ग्राहको के वाउचर अप्रार्थी संख्या 01 को सप्लाई गाडी में भरकर दिये गये उसी गाडी से ही प्रार्थी द्वारा गैर कानूनी रूप से सिलेण्डर जब्त किये गये है। सिलेण्डरों में भरी हुई गैस भण्डार की है तथा सिलेण्डर आईओसी कम्पनी के है। सिलेण्डरों के अभाव में भण्डार का वितरण कार्य प्रभावित हो

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

04/01/18
जिला कलेक्टर
अजमेर

रहा है तथा सिलेण्डर लम्बे समय तक पडे रहने से गैस कम होने एवं खत्म होने का अंदेशा है जिससे भण्डार को भारी आर्थिक हानि होने की संभावना है। अतः जब्त सिलेण्डर अप्रार्थी संख्या 02 को लौटाये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

हमने पैरोकार सरकार के कथनों पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के विरूद्ध घरेलू गैस सिलेण्डरों की अवैध रिफलिंग किये जाने की प्राप्त शिकायत की जांच दौरान मौके पर अप्रार्थी संख्या एक को अवैध रूप से बांसूरी के माध्यम से भरे हुए सिलेण्डर खाली गैस सिलेण्डर में स्थानान्तरित करते हुए पाया गया एवं वक्त जांच अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अवैध रूप से गैस स्थानान्तरित किया जाना स्वीकार भी किया गया है। घरेलू एवं व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों का अवैध रिफलिंग करना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन होने के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध भी है। लिहाजा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा उपरोक्त कब्जेराज ली गई सामग्री 37 घरेलू गैस सिलेण्डरों को मय बांसूरी राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डरों को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें

आदेश आज दिनांक 02.02.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर ★ अजमेर ★